Rule 75: 1[****]

Rule 75 omitted by Noti. No. 19/2022–Central Tax, dt. 28-09-2022 w.e.f. 01-10-2022. Earlier to omission it was read as,

"Rule 75 : Communication and rectification of discrepancy in reduction in output tax liability and reversal of claim of reduction

- (1) Any discrepancy in claim of reduction in output tax liability, specified in subsection (3) of section 43, and the details of output tax liability to be added under sub-section (5) of the said section on account of continuation of such discrepancy, shall be made available to the registered person making such claim electronically in FORM GST MIS-1 and the recipient electronically in FORM GST MIS-2 through the common portal on or before the last date of the month in which the matching has been carried out.
- (2) A supplier to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of outward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (3) A recipient to whom any discrepancy is made available under sub-rule (1) may make suitable rectifications in the statement of inward supplies to be furnished for the month in which the discrepancy is made available.
- (4) Where the discrepancy is not rectified under sub-rule (2) or sub-rule (3), an amount to the extent of discrepancy shall be added to the output tax liability of the supplier and debited to the electronic liability register and also shown in his return in FORM GSTR-3 for the month succeeding the month in which the discrepancy is made available.

Explanation- For the purposes of this rule, it is hereby declared that –

- (i) rectification by a supplier means deleting or correcting the details of an outward supply in his valid return so as to match the details of corresponding inward supply declared by the recipient;
- (ii) rectification by the recipient means adding or correcting the details of an inward supply so as to match the details of corresponding outward supply declared by the supplier."

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम	75	:	1						1
------	----	---	---	--	--	--	--	--	---

1 अधिसूचना क्रमांक 19/2022-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.09.2022 द्वारा नियम 75 विलोपित (प्रभावशील दिनांक 01.10.2022)। विलोपन के पूर्व यह इस प्रकार थाः

"नियम 75: उत्पादन कर दायित्व की कटौती में विसंगति की संसूचना और उसका परिशोधन तथा कटौती के दावे का उलट दिया जाना

- (1) धारा 43 की उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे में कोई विसंगित और ऐसी विसंगित के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उप—धारा (5) के अधीन जोड़े जाने वाले उत्पादन के कर दायित्व ब्यौरे प्ररूप जीएसटी एमआईएस—1 में इलेक्ट्रानिक रूप से ऐसा दावा करने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को और प्ररूप जीएसटी एमआईएस—2 में इलेक्ट्रानिक रूप से प्राप्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस मास, जिसमें सुमेलीकरण किया गया हो, की अन्तिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
- (2) ऐसा कोई प्रदायकर्ता, जिसको उप—िनयम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले जावक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (3) ऐसा कोई प्राप्तिकर्ता, जिसको उप—िनयम (1) के अधीन कोई विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, उस मास, जिसमें ऐसी विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के लिए प्रस्तुत किया जाने वाले आवक प्रदायों के विवरण में उपयुक्त परिशोधन कर सकेगा।
- (4) जहां विसंगति उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के अधीन परिशोधित नहीं की जाती है, वहां विसंगति के विस्तार की रकम प्राप्तिकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी और इलेक्ट्रानिक दायित्व रिजस्टर में से विकलित की जाएगी तथा उस मास जिसमें विसंगति उपलब्ध कराई जाती है, के उत्तरवर्ती मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3 में दर्शायी जाएगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए, यह घोषणा की जाती है कि-

- (i) किसी प्रदायकर्ता द्वारा परिशोधन से उसकी विधिमान्य विवरणी में जावक प्रदाय के ब्यौरों का हटाया जाना या संशोधन करना अभिप्रेत है जिससे कि प्राप्तिकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी आवक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;
- (ii) किसी प्राप्तिकर्ता द्वारा परिशोधन के आवक प्रदाय के ब्यौरों का जोड़ा जाना या उन्हें संशोधित किया जाना अभिप्रेत है जिससे कि प्रदायकर्ता द्वारा घोषित तत्स्थानी जावक प्रदाय के ब्यौरों को सुमेलित किया जा सके;"